प्रेस नोट
दिनांक 01.05.2026

आमजनमानस के साथ राह चलते हुए चोरी की घटनाएं कारित करने वाले गिरोह के 07 सदस्य (महिला/पुरुष) गिरफ्तार, चोरी के सोने–चांदी के आभूषण बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–382/26, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 07 अभियुक्तों–01. अनीशा पत्नी गोविन्दा, 02. निप्ती पत्नी रंजन खरवार, 03. अन्नू देवी पत्नी गुलाब, 04. प्रियंका पुत्री रामराजे उर्फ गुलाब राय, 05. गोविन्दा पुत्र गुलाब, 06. हरिओम पुत्र गुलाब, 07. अखिलेश पुत्र राकेश सहित एक बालअपचारी किशोरी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी के सोने–चांदी के आभूषण बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.04.2026 को वादिनी श्रीमती रेनू गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी गई कि वह अपनी बहन के साथ मायके से लौटते समय गोण्डा बस स्टेशन से बैट्री रिक्शा में सवार हुई। रास्ते में दो अज्ञात महिलाएं भी उसी रिक्शा में बैठ गईं। प्रार्थिनी के बच्चे को संभालने में व्यस्त होने का फायदा उठाकर उक्त महिलाओं ने उसके बैग से सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला व बड़ी नथुनी चोरी कर ली। घटना की जानकारी प्रार्थिनी को रिक्शा चालक को किराया देते समय बैग खोलने पर हुई। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 01.05.2026 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए आमजनमानस के साथ राह चलते चोरी की घटनाएं कारित करने वाले गिरोह के 07 अभियुक्तों–01. अनीशा पत्नी गोविन्दा, 02. निप्ती पत्नी रंजन खरवार, 03. अन्नू देवी पत्नी गुलाब, 04. प्रियंका पुत्री रामराजे उर्फ गुलाब राय, 05. गोविन्दा पुत्र गुलाब, 06. हरिओम पुत्र गुलाब, 07. अखिलेश पुत्र राकेश को विभिन्न स्थानों(सेमरा रेलवे कॉलोनी स्थित तालाब व कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज के पास स्थित अस्थायी डेरा) से गिरफ्तार किया गया तथा एक बालअपचारी किशोरी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी के सोने–चांदी के आभूषण बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विभिन्न जनपदों में घूम–घूमकर भीख मांगने का कार्य करते हैं। इसी दौरान वे भीड़–भाड़ वाले स्थानों जैसे बस अड्डा, बाजार एवं ई–रिक्शा आदि में अवसर पाकर महिलाओं के बैग/पर्स से चोरी की घटनाएं करते हैं। लगभग एक सप्ताह पूर्व वे लोग गोरखपुर से आकर जनपद गोण्डा में रुके थे। दिनांक 29.04.2026 को गोण्डा बस अड्डे पर ई–रिक्शा में बैठी एक महिला के बैग से तीन सोने की अंगूठियां चोरी की गईं। अगले दिन पुनः बस अड्डे पर एक अन्य महिला के बैग से एक मंगलसूत्र, कान का झाला, नथुनी सायरा सहित एवं नगदी रुपये चोरी किए गए। चोरी किए गए जेवरात एवं नकदी को आपस में बांट लिया गया तथा कुछ पैसे खर्च कर दिए गए। अभियुक्ताओं द्वारा यह भी बताया गया कि वे लोग चोरी के जेवरात को पहचान छिपाने हेतु अलग–अलग अपने पास रखते हैं तथा मौका मिलने पर राह चलते व्यक्तियों को औने–पौने दामों में बेच देते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से वे लोग लगातार स्थान बदलते रहते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अनीशा पत्नी गोविन्दा निवासी अकोड़ी गोला विदेशी टोला, थाना अकोड़ी गोला, जनपद रोहतास, राज्य बिहार,
02. निप्ती पत्नी रंजन खरवार निवासी अकोड़ी गोला विदेशी टोला, थाना अकोड़ी गोला, जनपद रोहतास, राज्य बिहार।
03. अन्नू देवी पत्नी गुलाब निवासी अकोड़ी गोला विदेशी टोला, थाना अकोड़ी गोला, जनपद रोहतास, राज्य बिहार।

04. प्रियंका पुत्री रामराजे उर्फ गुलाब राय निवासी अकोड़ी गोला विदेशी टोला, थाना अकोड़ी गोला, जनपद रोहतास, राज्य बिहार।
05. गोविन्दा पुत्र गुलाब निवासी अकोड़ी गोला विदेशी टोला, थाना अकोड़ी गोला, जनपद रोहतास, राज्य बिहार।
06. हरिओम पुत्र गुलाब निवासी अकोड़ी गोला विदेशी टोला, थाना अकोड़ी गोला, जनपद रोहतास, राज्य बिहार।
07. अखिलेश पुत्र राकेश निवासी पिलरीपुर पावर हाउस, राम सरोवर, थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–382/2026, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद मंगलसूत्र मय लॉकेट (पीली धातु)
02. 04 अदद अंगूठी (पीली धातु)
03. 01 अदद नथुनी मय सायरा (पीली धातु)
04. 02 अदद जोड़ी झाला (पीली धातु)
05. 01 अदद जोड़ी झुमका (पीली धातु)
06. 16 अदद जोड़ा बिछुआ (सफेद धातु)
07. 02 अदद जोड़ी पायल (सफेद धातु)
08. 01 अदद जोड़ी हाथ पलानी (सफेद धातु)
09. 03 अदद सिक्के (सफेद धातु)

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 सुनील कुमार
02. म0उ0नि0 आरती वर्मा
03. हे0का0 इन्द्रासन गौड़
04. का0 विजय कुमार
05. म0का0 शालू तिवारी
06. म0का0 सुमन कुशवाहा
07. हे0का0 नागेन्द्र यादव
08. का0 रोहित कुमार गौतम

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 01.05.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र रामू को चौहान ढाबा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.04.2026 को उ0नि0 उमेश सिंह मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कस्बा कोल्हमपुर स्थित चौहान ढाबा पर दबिश दी गई। मौके पर एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम रोहित कुमार पुत्र रामू निवासी चौकीदार पुरवा रामापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रोहित कुमार पुत्र रामू निवासी चौकीदार पुरवा रामापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–139/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उमेश सिंह
02. उ0नि0 उमेश कुमार सिंह
03. मु0आ0 लक्ष्मीकान्त कन्नौजिया
04. आरक्षी विनय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.05.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–129/2026 धारा 191(2),191(3),115(2),109(1),103(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त ध्रुप नरायन दूबे पुत्र रमाकान्त को बग्गी रोड नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 25.04.2026 को वादी संजय दूबे एडवोकेट निवासी रुद्रगढ़ नौसी, अलफनगर द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रामनरायन पुत्र जग प्रसाद, रामनेवास पुत्र राम बहोर, शिवकुमार पुत्र शांति प्रसाद, मोहित पुत्र शिवकुमार, पुत्ती लाल पुत्र चुन्नू, अखिलेश कुमार पुत्र अवधेश कुमार व अन्य व्यक्तियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते वादी व उसके पिता देवनरायन तथा माता कान्ती देवी पर लाठी–डंडा व लोहे की वस्तु से जानलेवा हमला किया गया। घटना के दौरान वादी के पिता देवनरायन गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 01.05.2026 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त ध्रुप नरायन दूबे पुत्र रमाकान्त को बग्गी रोड नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. ध्रुप नरायन दूबे पुत्र रमाकान्त, निवासी अलफनगर मौजा रूद्रगढ़ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–129/2026 धारा 191(2),191(3),115(2),109(1),103(1) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द यादव थाना धानेपुर।
02. उ0नि0 सरफराज खान।
03. रि0का0 अभिषेक सिंह।
04. रि0का0 अनुराग सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।